राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकःप.6(58)प्र0सु0/अनु0–3/2010

जयपुर,दिनांकः 1.12.2010

–:: आदेश ::–

पंचायती राज संस्थाओ के सशक्तीकरण के क्रम में हस्तान्तरित गतिविधियों के साथ–साथ निधियों एवं स्टाफ के हस्तान्तरण उपरान्त उनके प्रभावी कियान्वयन में आ रही समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निदान हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन समसंख्यक आदेश दिनांक 21.10.2010 द्वारा किया गया है।

उक्त समिति में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

उक्त समिति हस्तान्तरित कार्यकलापों एवं स्टाफ के हस्तान्तरण के संदर्भ में स्थानीय समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करेगी। ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण जिला स्तर पर संभव नहीं होगा उन्हें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

इस प्रयोजन का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा।

आज्ञा से,

30.11.10

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय समस्त मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव (विकास), राज. जयपुर।
7. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ
8. समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद, राजस्थान।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, सचिवालय, जयपुर को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार समाचार के प्रकाशन बाबत।
14. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एम0 एण्ड ई0), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है।
15. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी